



कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट-पचम्बा, जिला-गिरिडीह, पीन कोड-815316

email-dfogir@gmail.com, Phone No.-06532-222127

पत्रांक- 1460

दिनांक- 21-05-2019

सेवा,

विद्युत् अधीक्षण अभियंता,
ट्रांसमिशन सर्किल,
देवघर (झारखण्ड)।

विषय - गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 220KV. डी/सी जसीडीह-गिरिडीह ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 40.789 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग - प्रधान मुख्य वन सखाक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रौंघी का ज्ञापक-508 दिनांक-10.05.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में सूचित करना है कि विषयोक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर (Stage-I) की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा लगाये शर्तों की शर्तवार स्थिति निम्नवत सुस्पष्ट की जाती है :-

क्र०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
2.	Compensatory afforestation : Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 107.508 ha. degraded forest land (Thana No.44, Village-Asgandho, Division-Giridih East and Thana No.658, Village- Bhatubari, Division-Bhatubari) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रधान मुख्य वन सखाक, विकास झारखण्ड रौंघी के कार्यालय आदेश सं०-23 ज्ञापक-781 दि०-19.06.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका (15 प्रतिशत वार्षिक मजदूरी दर में वृद्धि करते हुये एवं 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित) के अनुसार गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले 40.789 हे० वन भूमि के दौगुणे अवकृष्ट वन भूमि 81.578 हे० पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल ₹०-13140226.00 (एक करोड़ इकत्तीस लाख चालीस हजार दो सौ छब्बीस) रुपये होते हैं। (प्राक्कलन संलग्न अनु०-1) झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट e-portal पर ऑन-लाईन चालान जनरेट कराते हुए चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। नोट-आर०टी०जी०एस०/ नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the C.A land shall be deposited in advance	इस शर्त के अनुपालन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए प्रस्तावित वन भूमि असगन्धो पी०एफ०, थाना- बेंगाबाद, थाना न०-44 में कुल-104 पीलर के लिए ₹०-4337.00 प्रति पीलर के दर कुल-451048.00 (चार लाख इक्कावन हजार अड़तालीस) रुपये होते हैं।

	with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	(श्रावकलन संलग्न अनु-2) झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट e-portal पर ऑन-लाईन घालान जनरेट कराते हुए घालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। नोट-आर0टी0जी0एस0/ नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय।
4.	N.P.V : a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.77 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in I.A No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters no. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18-09-2003, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated-03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05-02-2009 in this regard. b) The state Govt. shall charge the penal Net Present value (NPV) for violation, which is equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made. In case of public utility projects of the Government the penalty shall be 20% of the penalty proposed above. c) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन हेतु अपयोजित होने वाले पन्गूमि रकबा-40.789 हे0 के लिए 6,28,000/- प्रति हे0 की दर से कुल-2,55,33,914.00 दो करोड़ पचपन लाख तैंतीस हजार नौ सौ चौदह) रुपये एन0पी0वी0 मद में झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट e-portal ऑन-लाईन घालान जनरेट कराते हुए घालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। नोट-आर0टी0जी0एस0/ नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय। इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
5.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
6.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA Certificate समर्पित किया जाए।
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।

8.	Width of Right of way for the Transmission Line shall be limited to 35 m.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
9.	The User Agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintaining necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals like elephant.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
10.	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, User Agency shall comply with the following guidelines : a) The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 132 KV D/C line will be 3 m only. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up. b) Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line. c) In the remaining width of Right of Way felling/pollarding/ pruning of trees will be done with the permission of the local Forest Officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.6 meter clearance between conductors and trees. the maximum sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above. d) The scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted. e) In case a portion of the Transmission Line to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be felled.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए। इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास, झारखण्ड रांची के कार्यालय आदेश सं०-25 झापाक-804 दिनांक-26.06.2018 के द्वारा प्राप्त दर तालिका (15% वार्षिक मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए) प्रस्तावित विद्युत् संचरण पथ के नीचे (वन भूमि पर) इवार्फ स्पेसीज पौधों के रोपण हेतु कुल राशि-38924321.00 (तीन करोड़ तीसरी लाख चौबीस हजार तीन सौ इक्कीस) रुपये होते हैं। (प्राक्कलन संलग्न अनु०-3) झारखण्ड के कैम्पा एकाउन्ट e-portal ऑन-लाईन चालान जनरेट कराते हुए चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समर्पित की जाय। नोट-आर०टी०जी०एस०/ नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय। इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।

11.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
12.	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
13.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
14.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
15.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency of the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
16.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
17.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
18.	Vocation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt. 29-01-2018.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।
20.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parives.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (Undertaking) समर्पित किया जाए।

अतः अनुरोध है कि सभी शर्तों का शर्तवार अनुपालन प्रतिवेदन 10 (दस) प्रतियों में यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाये ताकि अग्रेतर कार्यवाई की जा सके।

विश्वसभाजन

वन प्रमण्डल प्रशासक
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

26/5/19

दस वर्षीय क्षतिपूर्क वनरोपण योजना का प्रस्ताव
योजना का नाम-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

प्रश्न का नाम _____
 स्थल का नाम _____
 संख्या _____
 कुल पार्श्व की सं० _____
 समुद्री तल _____

सुरसुद्धा वन प्रवेश	शान्त	बैगाबाद
जसगन्धी	शान्त न०	44
81.578 से०	नीलों की दूरी	(3 मी० x 2 मी०)
135909 पीपे	प्लॉट न०	2, 15, 25, 199, 184
237.38 / मा०दि०		
ट्रेस घेरान-	456	बेन

क्र०	कार्य की विवरणी	नियमित दर प्रति हे०			प्राक्कलित राशि			कुल राशि	अभ्युक्ति
		इकाई	मा०दि०	सामग्री (रु०)	कुल मा०दि०	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क)	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)								
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	₹०	3.00	0.00	244.73	58094.96	0.00	58094.96	
2	झाड़ी सफाई								
2.1	झाड़ी रहित	₹०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	₹०	7.00	0.00	571.05	135554.90	0.00	135554.90	
2.3	घनी झाड़ी	₹०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	घेरान कार्य								
3.1	ट्रेव घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	बेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	मशीन द्वारा ट्रेव खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुमतिवर दर सूची दि०-1.4.2014 से लागू का आइटम सं०-7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक खान घटाकर दर) 18% GST सहित (488 बेन)	बेन	2.00	2317.27	912.00	216490.56	1056675.12	1273165.68	
3.3	पाथर घेरान-उपर की चौड़ाई 0.30 मी नीचे की चौड़ाई 1.25 मी चौड़ाई 1.00 मी	बेन	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	झाड़ी घेरान (बेन)	बेन	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	मुदा कार्य (03 मी X 0.3 मी X 0.3 मी) 1888 पीट प्रति हे० (सर्वेक्षण एवं मुदा प्रोफाईल पीट सहित)	₹०	36.50	0.00	2977.60	706821.98	0.00	706821.98	
5	अस पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	₹०	16.50	0.00	1346.04	319522.26	0.00	319522.26	
6	सामग्री (पोलीथी धैली, सीज, ड्रैपफ, छाद, रसायन, मिट्टी, फुआल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) GST 18% सहित	₹०	0.00	4707.02	0.00	0.00	383989.28	383989.28	
7	मुदा एवं जल संरक्षण कार्य- कट्टर ट्रेविंग-80 कट्टर ट्रेव साईज-8मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदना जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसी मिट्टी का ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोइली कर रखा जाना	₹०	55.00	0.00	4486.79	1065074.21	0.00	1065074.21	
8	सिल्ट डिटेन्शन ड्रेम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो बाल, स्लप एवं टैरिन्ट नियंत्रण कार्य आदि	₹०	25.00	0.00	2039.45	484124.64	0.00	484124.64	
9	गली प्लगिंग	₹०	10.00	0.00	815.78	193649.86	0.00	193649.86	
10	विविध कार्य (आयाकन, साईनबोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	₹०	0.00	150.00	0.00	0.00	12236.70	12236.70	
	योग-		211.00	7174.29	13393.43	3179333.36	1452901.10	4632234.46	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जायगी)	₹०				838482.10	253919.63	1092401.73	
	प्रथम वर्ष का सकल योग-		211.00	7174.29	13393.43	4017815.46	1706820.73	5724636.19	

क्र०	कार्य की विवरणी	निर्धारित दर प्रति हे०			प्राक्कलित राशि			कुल राशि	3 अन्युक्ति
		इकाई	मा०दि०	सामग्री (रु०)	कुल मा०दि०	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ)	संपोषण कार्य (नवम वर्ष) मजदूरी दर-631.44 का 15% बढ़ाकर =				726.16	प्रति मा०दि०			
1	घोषी की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	265048.40	0.00	265048.40	
	कुल -		365.00	0.00	365.00	265048.40	0.00	265048.40	
(ब)	संपोषण कार्य (दशम वर्ष) दर- 726.16 का 15% बढ़ाकर =				835.08	प्रति मा०दि०			
1	घोषी की सुरक्षा	स्थल	365.00	0.00	365.00	304804.20	0.00	304804.20	
	कुल -		365.00	0.00	365.00	304804.20	0.00	304804.20	
	सकल योग -		4589.50	15052.02	32903.95	10790755.58	2349470.18	13140225.77	

सारंश

क्र०	कार्य वर्ष	दस वार्षीय योजना की लागत			E.P.A की राशि			योजना की कुल लागत		कुल
		मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल	मजदूरी	सामग्री	
1	अधिन कार्य प्रथम वर्ष	3179333.36	1452901.10	4632234.46	838482.10	253919.63	1092401.73	4017815.46	1706820.73	5724636.19
2	समाप्तन कार्य द्वितीय वर्ष	2410547.29	239896.42	2650443.71	0.00	0.00	0.00	2410547.29	239896.42	2650443.71
3	संपोषण कार्य तृतीय वर्ष	1038208.37	205823.74	1244032.11	0.00	0.00	0.00	1038208.37	205823.74	1244032.11
4	संपोषण कार्य चतुर्थ वर्ष	1029306.64	148798.27	1178104.91	0.00	0.00	0.00	1029306.64	148798.27	1178104.91
5	संपोषण कार्य पंचम वर्ष	1119852.52	48131.02	1167993.54	0.00	0.00	0.00	1119852.52	48131.02	1167993.54
6	संपोषण कार्य षष्ठम वर्ष	174272.90	0.00	174272.90	0.00	0.00	0.00	174272.90	0.00	174272.90
7	संपोषण कार्य सप्तम वर्ष	200414.20	0.00	200414.20	0.00	0.00	0.00	200414.20	0.00	200414.20
8	संपोषण कार्य अष्टम वर्ष	230475.60	0.00	230475.60	0.00	0.00	0.00	230475.60	0.00	230475.60
9	संपोषण कार्य नवम वर्ष	265048.40	0.00	265048.40	0.00	0.00	0.00	265048.40	0.00	265048.40
10	संपोषण कार्य दशम वर्ष	304804.20	0.00	304804.20	0.00	0.00	0.00	304804.20	0.00	304804.20
	सकल योग -	9952273.48	2095550.56	12047824.04	838482.10	253919.63	1092401.73	10790755.58	2349470.18	13140225.77
								or say Rs.		13140226.00

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान मुख्य वन सस्त्रक, विकस, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-23 डा०पाक-781 दिनांक-19.08.2018 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है। मजदूरी दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष एवं सामग्री में 18% GST सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है।

वन प्रमण्डल प्रशासक
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

20/5/19



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर



फोन/फैक्स नं०-9432-232397 मो०-9431137795, ईमेल-info.deoghar2@gmail.com

पत्रांक 01-02 वनमू/02(22)16/2018 दिनांक 15.06.2019

प्राप्तक:

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमण्डल, देवघर।

संग में

उप महाप्रबंधक,
संवरण अंचल, देवघर।

विषय : झारखण्ड राज्य के देवघर एवं गिरिडीह जिलों में JSUNL के प्लॉट में 220 के.भी. डी/सी जसीडीह-गिरिडीह विद्युत संचरण पथ निर्माण हेतु 53.7504 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

- प्रसंग :
1. तकनीकी पदाधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (राँची), बंग्लो नं०-A2 श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 का पत्र सं०-FP/JH/TRANS/30079/2017/3110 दिनांक 03.05.2019।
 2. आपका पत्रांक 473 दिनांक 15.06.2019।
 3. इस कार्यालय का पत्रांक 1260 दिनांक 31.05.2019 एवं पत्रांक 1340 दिनांक 13.06.2019।

महोदय,

संयुक्त विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार के प्रारंभिक पत्र (प्रयाप्ति संलग्न) के द्वारा प्रथम स्तर की स्वीकृति (1st Stage Clearance) में लगाये गये निम्नांकित शर्तों के आलोक में प्रासंगिक पत्र (3) के माध्यम से डिमांडनोट प्रेषित की गयी थी, परन्तु भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अधिसूचना समर्पित नहीं किया गया है। शर्तों के अनुपालन की शर्तवार स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :-

क्र.	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन हेतु पर्याप्तवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
2	Compensatory afforestation: Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 107.508 ha. degraded forest land (Thana No. 44, Village-Asgando, Division-Giridih East and Thana No. 658, Village-Bhatuben, Division-Bhatubari) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	देवघर वन प्रमण्डल के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि 12.8014 हे. के दोगुने अर्थात् 25.6028 हे. अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूर्क वनरोपण की कुल प्रास्तावित राशि 5286995.00 (पावन लाख छियासी हजार नौ सौ पचास) रु. मात्र क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु निर्धारित किया जाता है। उक्त राशि की कीमती के खाता में e-proposal के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जाय तथा जमा प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाय। नोट : 52 लाख रु. में परिवर्तन होने पर अतिरिक्त राशि की मात्रा अलग से की जायेगी।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन हेतु राशि शर्त संख्या 02 में सम्मिलित कर ली गयी है।

4	NPV	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.77 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2005, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP @ No. 202/1985 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/03/2003, as well as letter No. 5-2/2005-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	हेतुगत गंगा प्रमंडल के अंतर्गत कुल प्रस्तावित कन्सुम 12.9814 है. X रु. 6.26 लाख रु./है. कुल 8113836.00 (एकसी लाख तेरह हजार साठ सौ छत्तीस) रुपये मात्र एन.पी.वी. हेतु निर्धारित की जाती है। उक्त राशि को कैम्पा के पोर्टल में e-portal के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जाय एवं जमा प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाय।
b)	The State Govt. shall charge the penal Net Present Value (NPV) for violation, which is equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five times the NPV plus 12% simple interest till the deposits is made. In Case of public utility projects of the Government the penalty shall be 20% of the penalty proposed above.	कुल Violated Area 12.9814 है. Date of Report of Violation - 21.09.2018 एव 22.09.2018 Violation अवधि - 01 साल संवर्धन दर - 12% प्रतिवर्ष 1. गुणवत्ता एन.पी.वी. की राशि 129814 है. X 01 X 6.26 X 100000.00 = 8113836.00 2. अतिरिक्त व्याज (एक वर्ष हेतु मा.स) सरकार की दर से) = 8113836.00 X 12 X 1/100 = 973660.00 3. 1 एवं 2 का जोड़ = 9087496.00 * Public utility projects of the Government हेतु कन्सुम 3 का 20 प्रतिशत = 1817499.00 (अकरह लाख सत्रह हजार चार सौ गिनावने) रुपये मात्र दण्डात्मक एन.पी.वी. हेतु निर्धारित की जाती है। उक्त राशि को कैम्पा के पोर्टल में e-portal के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जाय एवं जमा प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाय।
c)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वकनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
5	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन हेतु राशि की राशि प्रमंडलीय प्रबंधक, लघु वन पदार्थ परियोजना प्रमंडल, गिरिकीह के द्वारा वृक्षपातन की राशि का निर्धारण के पश्चात् की जायेगी।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रतिवेदन 10 (दस) हतियों में समर्पित किया जाय।
7	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portals (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन हेतु उक्त परियोजना में मांग की गयी सभी राशियों को कैम्पा के पोर्टल में e-portal के माध्यम से जमा कर जमा प्रमाण-पत्र, समर्पित किया जाय।
8	Width of Right of Way for the Transmission Line shall be limited to 35m	इस शर्त के अनुपालन हेतु वकनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
9	The User Agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintaining necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals like elephant.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वकनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
10	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, User Agency shall comply with the following guidelines:	इस शर्त के अनुपालन हेतु वकनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।

a)	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 132 KV D/C line will be 3m only. The trees of such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
b)	Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
c)	In the remaining width of Right of Way felling/pruning of trees will be done with the permission of the local Forest Officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to be felled or topped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.5-meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
d)	The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line, as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted.	इस शर्त के अनुपालन हेतु कुल फायदा 21157080.00 (दो करोड़ प्याह्र लाख सत्तर हजार अस्सी) रुपये मात्र निर्धारित की जाती है। उक्त शर्त को कंपनी के खाता में निवेश के माध्यम से ऑनलाइन भंडा किया जाये एवं जमा प्रमाण पत्र समर्पित किया जाये। नोट : हर तालिका में परिवर्तन होने पर अतिरिक्त शर्त की मांग अलग से की जायेगी।
e)	In case a portion of the Transmission Line to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be felled.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
11	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
12	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
13	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
14	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
15	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
16	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
18	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
19	Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।
20	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाए।

अनुरोध है कि उपरोक्त सभी शर्तों का शर्तवार अनुपालन प्रतिरोधन 10 दिनों में आवश्यक सम्पन्न किया जाए, ताकि अग्रसार कार्रवाई की जा सके।

अनु० : यथोक्त।

विश्वासभाजन



वन प्रमंडल प्रशाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

क्र.	वृत्त एवं जल संरक्षण कार्य - कटहल ट्रेडिंग 120, कटहल ट्रेडिंग साईडल 5 मीटर X 0.30 मीटर X 0.3 मीटर का खोला जाना जिसकी दीप की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिटर की का भीमे जाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोइली कर रखा जाना।	है०	55	13055.90	0.00	13055.90	0.00	1426.15	338539.49	0.00	338539.49
9	विभिन्न डिटेन्शन डैम गेट, गेट, रिटर्निंग एवं बेस्ट गेट, दो घात, स्पायर एवं टेरिफ्ट सिस्टम कार्य आदि	है०	25	5934.50	0.00	5934.50	848.25	153881.59	153881.59	0.00	153881.59
10	गली प्लव्निंग	है०	10	2373.80	0.00	2373.80	259.30	61552.63	61552.63	0.00	61552.63
11	विशेष कार्य (जलाशयन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	0	0	0.00	150.00	150.00	0.00	3889.50	3889.50	0.00	3889.50
	योग :-		166	39405.08	17568.36	56973.44	4328.45	1027487.46	637280.15	1664767.61	1664767.61
12	इन्टीग्रेटेड कार्य (दो वर्षीय योजना की कुल लागत राशि का 15%)							273180.47	90374.11	363534.58	363534.58
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-							1300647.93	627654.26	1928302.19	1928302.19
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	273.00	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए						
1	उस पोषणाला कार्य रोजी प्रहरी सहित	है०	21.50	5869.50	0.00	5869.50	557.50	152196.14	0.00	152196.14	152196.14
2	वृक्षरोपण	है०	38.50	9964.50	0.00	9964.50	946.45	258379.49	0.00	258379.49	258379.49
3	दो कोइली एवं निकौनी	है०	41.50	11329.50	0.00	11329.50	1076.10	293773.94	0.00	293773.94	293773.94
4	ट्रेच के वर्म पर घेराव डेनु बीज रोपण	है०	2.00	546.00	0.00	546.00	51.88	14157.78	0.00	14157.78	14157.78
5	पौधों की सुरक्षा		275.00	75075.00	0.00	75075.00	275.00	75075.00	0.00	75075.00	75075.00
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	0.00	61324.45	0.00	61324.45	61324.45
7	निजिज कार्य (जलाशयन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	3889.50	0.00	3889.50	3889.50
	योग :-		376.50	162784.50	2515.00	165299.50	2906.90	793582.34	65213.95	858796.29	858796.29
ग	समापन कार्य (तृतीय वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	313.95	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए						
1	एक कोइली-निकौनी	है०	23	7220.85	0.00	7220.85	596.39	187236.64	0.00	187236.64	187236.64
2	सामग्री (बीज उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0	0.00	1892.40	1892.40	0.00	49069.93	0.00	49069.93	49069.93
3	पौधों की सुरक्षा		385.00	114591.75	0.00	114591.75	365.00	114591.75	0.00	114591.75	114591.75
4	घेराव मरम्मत	चेन	1	313.95	0.00	313.95	155.53	48844.34	0.00	48844.34	48844.34
5	मृदा बीजों का प्रतिस्थापन	है०	3	941.85	290.00	1231.85	77.79	24422.17	7519.70	31941.87	31941.87
	योग :-		392.00	123068.40	2182.40	125250.80	1194.76	375094.90	56589.63	431684.53	431684.53

संयोजन कार्य (चतुर्थ वर्ष)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		361.04		रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत) एतदीय वर्ष को आधार मानते हुए				
1	एक कोठनी-निकोनी	है०	23	8303.92	0.00	8303.92	596.39	216320.65	0.00	215320.65
2	सामग्री (बीज, उपरक, खाद, रसायन आदि)		0	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	33709.00	33709.00
3	पौधों की सुरक्षा		365.00	131779.60	0.00	131779.60	365.00	131779.60	0.00	131779.60
4	मूल पौधों का प्रतिस्थापन	है०	3	1083.12	280.00	1373.12	77.79	28085.30	7519.70	35605.00
योग :-		391.00		141166.64	1590.00	142756.64	1039.18	375185.65	41228.70	416414.25
संयोजन कार्य (पंचम वर्ष)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		415.20		रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत) चतुर्थ वर्ष को आधार मानते हुए				
1	एक कोठनी-निकोनी	है०	23	9549.60	0.00	8549.60	596.39	247621.13	0.00	247621.13
2	सामग्री (बीज, उपरक, खाद, रसायन आदि)		0	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	12965.00	12965.00
3	पौधों की सुरक्षा		365.00	151548.00	0.00	151548.00	365.00	151548.00	0.00	151548.00
4	घेराव की मरम्मत	खे०	1	415.20	0.00	415.20	155.58	64596.82	0.00	64596.82
योग :-		389.00		161512.80	500.00	162012.80	1116.97	463765.94	12965.00	476730.94
संयोजन कार्य (षष्ठम वर्ष)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		477.48		रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत) पंचम वर्ष को आधार मानते हुए				
1	पौधों की सुरक्षा (60 है० तक)	स्थल	365.00	174280.20	0	174280.20	365.00	174280.20	0.00	174280.20
योग :-		365.00		174280.20	0.00	174280.20	365.00	174280.20	0.00	174280.20
संयोजन कार्य (सप्तम वर्ष)		मजदूरी दर प्रति मानव दिवस		549.10		रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत) षष्ठम वर्ष को आधार मानते हुए				
1	पौधों की सुरक्षा (60 है० तक)	है०	365.00	200421.50	0	200421.50	365.00	200421.50	0.00	200421.50
योग :-		365.00		200421.50	0.00	200421.50	365.00	200421.50	0.00	200421.50

क्र.	सम्पौषण कार्य (वर्षा वष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	631.47	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	समय वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा (80 हे० तक)	हे०	365.00	230486.55	0	230486.55	0.00
	योग :-		365.00	230486.55	0.00	230486.55	230486.55
अ	सम्पौषण कार्य (नवम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	726.19	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	अन्तम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	हे०	365.00	265059.35	0	265059.35	0.00
	योग :-		365.00	265059.35	0.00	265059.35	265059.35
ब	सम्पौषण कार्य (दशम वर्ष)	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	836.12	रुपये (वृद्धि 15 प्रतिशत)	नवम वर्ष को आधार मानते हुए		
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे० तक)	हे०	365.00	304818.80	0	304818.80	0.00
	योग :-		365.00	304818.80	0.00	304818.80	304818.80
	सकल योग:-		3539.50	1743003.82	24355.76	1767359.58	12411.26
						4210182.59	713277.43
							4923460.02

सारांश

क्र.	कार्य	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 2Yr Plan)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		नजदूरी	सामग्री	कुल	EPA नजदूरी	EPA सामग्री	EPA कुल	नजदूरी	सामग्री	कुल
1	अग्निन कार्य (प्रथम वर्ष)	1027487.46	537280.15	1564767.61	273160.47	80374.11	353534.58	1300847.93	827654.26	1928302.19
2	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	793582.34	65213.95	858796.29	0.00	0.00	0.00	793582.34	65213.95	858796.29
3	सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष)	375084.90	56589.63	431674.53	0.00	0.00	0.00	375084.90	56589.63	431674.53
4	सम्पौषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	375185.55	41228.70	416414.25	0.00	0.00	0.00	375185.55	41228.70	416414.25
5	सम्पौषण कार्य (पंचम वर्ष)	463765.94	12965.00	476730.94	0.00	0.00	0.00	463765.94	12965.00	476730.94
6	सम्पौषण कार्य (षष्ठम वर्ष)	174280.20	0.00	174280.20	0.00	0.00	0.00	174280.20	0.00	174280.20
7	सम्पौषण कार्य (सप्तम वर्ष)	200421.50	0.00	200421.50	0.00	0.00	0.00	200421.50	0.00	200421.50
8	सम्पौषण कार्य (अष्टम वर्ष)	230486.55	0.00	230486.55	0.00	0.00	0.00	230486.55	0.00	230486.55
9	सम्पौषण कार्य (नवम वर्ष)	265059.35	0.00	265059.35	0.00	0.00	0.00	265059.35	0.00	265059.35
10	सम्पौषण कार्य (दशम वर्ष)	304818.80	0.00	304818.80	0.00	0.00	0.00	304818.80	0.00	304818.80
	योग :-	4210182.59	713277.43	4923460.02	273160.47	90374.11	363534.58	4483343.06	803651.54	5286994.60
								Or say		
								52,86,995.00		

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य भू संरक्षण, विकास, आस्थापन, रीची ले आवदन पत्रांक 1236 दिनांक 22.09.17 द्वारा प्राप्त हर तालिका पर आधारित है।

कुल 52,86,995.00 (बावन लाख छियासी हजार नौ सौ पनधानवे) रुपये मात्र

समर्पित

प्रतिहस्ताक्षरित

वन क्षेत्र पदाधिकारी
भू. संरक्षण प्रभाग, गणपुर

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

वन संरक्षण
प्रादेशिक लेवल, देवघर

राज्यीय मुख्य वन संरक्षण
संथाल परगना, दुमका